संख्या: 137 /2024/ 549 /चार-2024

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक: 15 मार्च, 2024

विषय: जनपद रायबरेली में राना बेनी माधवबक्श सिंह की स्मृति में सभागार आदि संरचना के द्वितीय चरण के कार्य कराये जाने हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 4253(1)/सं0नि0-6(47)/2023-24 दिनांक 06 फरवरी, 2024 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद रायबरेली में राना बेनी माधवबक्श सिंह की स्मृति में सभागार आदि संरचना के द्वितीय चरण के कार्य कराये जाने हेतु नामित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारम्भिक आगणन रू0 2485.00 लाख के सापेक्ष प्रायोजना, रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा परियोजना की लागत रू0 2309.09 लाख मूल्यांकित की गयी है।

2. उपर्युक्त के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद रायबरेली में राना बेनी माधवबक्श सिंह की स्मृति में सभागार आदि संरचना के द्वितीय चरण के कार्य कराये जाने हेतु रू0 2309.09 लाख (रू0 तेईस करोड़ नौ लाख नौ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति-800-अन्य व्यय -03-प्रेक्षागृह / खुला मंच का निर्माण -24- वृहत् निर्माण कार्य मद में रू0 500.00 लाख (रूपये पांच करोड़ मात्र) की धनराशि संलग्न विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्गत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) संस्कृति निदेशालय द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) बचत की धनराशि संस्कृति निदेशालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था - उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी।
(3) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
(4) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।
(5) संस्कृति निदेशालय द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधानित /स्वीकृत धनराशि का उपयोग हो जाने के पश्चात ही इस धनराशि का आहरण किया जायेगा/ धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी ।
(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।
(8) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(9) संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाय। कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(10) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण / सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(11) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं एवं उच्च विशिष्टियों को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय / कार्यदायी संस्था- उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 का होगा।

(12) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत फायर फाइटिंग सम्बन्धी कार्य नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप हैं।

(13) प्रायोजना प्रस्ताव में 26986.74 घ०मी० मिट्टी भराई हेतु रू0 138.95 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है। जिसके सापेक्ष एकमुश्त रू0 5.00 लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है। अवशेष धनराशि वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10 / 2021 / बी-2 - 96 /दस-2021-10/ 77 दिनांक 22 मार्च, 2021 के प्रस्तर-2 दी गयी व्यवस्था के अनुसार अनुमन्य की जायेगी। जिसमें निर्देश दिया गया है कि मिट्टी भराई हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा पूर्व में दी गयी व्यवस्था के अतिरिक्त निर्माण स्थल के कन्टूर प्लान के साथ-साथ थी डाइमेन्शनल मेजरमेन्ट सहित ड्रोन इमेज उपलब्ध कराये जाने के साथ-साथ जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति की जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित रिपोर्ट एवं मिट्टी भराई की गणनासीट उपलब्ध कराये जाने के पश्चात मिट्टी भराई की लागत अनुमन्य होगी।

(14) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित लाइट एण्ड फिक्सर्स आदि विद्युतीकरण सम्बन्धित कार्यमद एवं फर्नीचर आदि के कार्यों की लागत बजटरी आफर / कोटेशन / बाजार दरों के आधार पर प्रस्तावित की गई हैं। इसके कियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरे प्राप्त करें चूँकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हैं एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना संस्कृति निदेशालय / कार्यदायी संस्था द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया किया जाना अपेक्षित है।

(15) प्रायोजना प्रस्ताव में प्रस्तावित भवन हेतु फर्नीचर के क्रय एवं स्थापना आदि का प्रावधान किया गया है। इस हेतु संस्कृति निदेशालय द्वारा एक समिति का गठन किया जाये, जो इन कार्यमदों की आवश्यकता, औचित्य, स्पेसिफिकेशन एवं लागत का परीक्षण कर स्वयं संतुष्ट हो लेगी। प्रभाग द्वारा प्रायोजना में फर्नीचर हेतु रू0 75.00 लाख प्रस्तावित लागत की सीमा के अन्तर्गत समिति जो न्यूनतम लागत संस्तुत करेगी, प्रायोजना की लागत उस सीमा तक संशोधित मानी जायेगी।

(16) प्रायोजना प्रस्ताव / आगणन में प्रस्तावित कार्यों की लागत बॉट आइटम सहित रू0 1788.58 लाख पर 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० की धनराशि रू0 321.94 लाख आंकलित की गयी है, जो वास्तविकता के आधार पर अनुमन्य होगी। संस्कृति निदेशालय / कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी०एस०टी० अलग से सम्मिलित न हो। उक्त मद में वास्तविकता के आधार पर ही धनराशि अनुमन्य होगी।

(17) प्रायोजना में विद्युत संयोजन हेतु विद्युत विभाग को रू0 15.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है। इसे यथावत् अनुमन्य किया गया है, विस्तृत आगणन उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० से प्राप्त कर वास्तविकता के आधार पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त आगणन के अनुसार वास्तविकता के आधार पर देय होगा।

(18) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे टाईम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।

(19) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(20) आगणन का परीक्षण आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं तद्नुसार प्रस्तावित प्राविधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार / क्षेत्रफल में वृद्धि तथा उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(21) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व संस्कृति निदेशालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित हैं।

(22) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय- समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(23) प्रश्नगत स्वीकृति संस्कृति निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा।

(24) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/ मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/ मद हेतु किया जायेगा।

(25) यह अनिवार्य रूप में सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानीटरिंग भी की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(26) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो, इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vii) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(27) उक्त परियोजना हेतु मदवार मूल्यांकित लागत का विवरण संलग्न है।

3. उक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक -4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय -04- कला एवं संस्कृति -800- अन्य व्यय -54- अन्तर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान, अयोध्या -24- वृहत् निर्माण कार्य मद से रू0 500.00 लाख की धनराशि को संक्रमित कर पुनर्विनियोग के माध्यम से लेखाशीर्षक -4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय -04- कला एवं संस्कृति -800-अन्य व्यय -03-प्रेक्षागृह / खुला मंच का निर्माण -24- वृहत् निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

संख्या- 137 /2024/ 549 (1) /चार-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, रायबरेली, उ0प्र0।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- महाप्रबन्धक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, गोमती बैराज, गोमती नगर, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- परियोजना प्रबंधक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, यूनिट-8, रायबरेली।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)
A004-20232024-549-Char-2024 RB Madhav II Reapp

विषय:- जनपद रायबरेली में राना बेनी माधवबक्श सिंह की स्मृति में सभागार आदि संरचना के द्वितीय चरण के कार्य कराये जाने हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
092	4202048005400 (अन्तर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान अयोध्या)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	20,00,00,000 रुपये बीस करोड़ मात्र	20,00,00,000 रुपये बीस करोड़ मात्र	10,00,00,000 रुपये दस करोड़ मात्र	5,00,00,000 रुपये पांच करोड़ मात्र	15,00,00,000 रुपये पंद्रह करोड़ मात्र	2023-2024
कुल					₹ 10,00,00,000	₹ 5,00,00,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
092	4202048000300 (प्रेक्षागृह / खुला मंच का निर्माण)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	7,00,00,000 रुपये सात करोड़ मात्र	10,00,00,000 रुपये दस करोड़ मात्र	5,00,00,000 रुपये पांच करोड़ मात्र	12,00,00,000 रुपये बारह करोड़ मात्र	2023-2024
कुल				₹ 10,00,00,000	₹ 5,00,00,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-
(1) संस्कृति निदेशालय द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(2) बचत की धनराशि संस्कृति निदेशालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
(3) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
(4) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।
(5) संस्कृति निदेशालय द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधानित /स्वीकृत धनराशि का उपयोग हो जाने के पश्चात ही इस धनराशि का आहरण किया जायेगा/ धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी ।
(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

संख्या:RE-budget-1-631-E-7-540-X-2023-24-दिनांक:14-03-2024

सेवा में,
निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

कुंवर मकरंद सिंह
संयुक्त सचिव

संख्या- 137 /2024/ 549 (1) /चार-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, रायबरेली, उ0प्र0।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- महाप्रबन्धक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, गोमती बैराज, गोमती नगर, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या: 137 /2024/ 549 /चार-2024 दिनांक 15 मार्च, 2024 का संलग्नक

प्रायोजना की प्रस्तावित लागत रू0 2485.00 लाख के सापेक्ष प्रभाग द्वारा रू0 2309.09 लाख की लागत आंकलित की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत् है–

(लागत लाख रू0 में)

क. सं.	मद का नाम	इकाई	प्रस्तावित लागत			प्रभाग द्वारा आंकलित लागत			कटौती
			मात्रा	दर (रू0 में)	लागत	मात्रा	दर (रू0 में)	लागत	
			विस्तृत आगणानुसार			विस्तृत आगणानुसार			
1	**AMPHIETHEATER BUILDING (G)**								
a	COST OF CIVIL WORKS				155.79			153.60	-2.19
b	COST OF INTERNAL W/S & SANITATION WORKS				5.13			5.13	0.00
c	COST OF INTERNAL ELECTRIFICATION WORKS				9.05			9.05	0.00
	Total				**169.97**			**167.78**	**-2.19**
2	**GUEST HOUSE (G+2)**								
a	CIVIL WORKS (UP TO PLINTH LEVEL)				170.48			165.87	-4.61
b	COST OF CIVIL WORKS (ABOVE PLINTH LEVEL)				395.57			395.57	0.00
c	COST OF INTERNAL W/S & SANITATION WORKS				18.21			18.21	0.00
d	COST OF INTERNAL ELECTRIFICATION WORK				83.18			83.18	0.00
e	COST OF FIRE FIGHTING WORK				33.94			33.94	0.00
	Total				**701.39**			**696.77**	**-4.61**
3	**TYPE - II RESIDENCE (4 NOS.) (G+1)**								
a	COST OF CIVIL WORKS				56.01			55.91	-0.10
b	COST OF INTERNAL W/S & SANITATION WORKS				3.57			3.57	0.00
c	COST OF INTERNAL ELECTRIFICATION WORK				11.55			11.55	0.00
	Total				**71.14**			**71.03**	**-0.10**

(लागत लाख रू0 में)

क. सं.	मद का नाम	इकाई	प्रस्तावित लागत			प्रभाग द्वारा आंकलित लागत			कटौती
			मात्रा	दर (रू0 में)	लागत	मात्रा	दर (रू0 में)	लागत	
4	**GUARD ROOM- 2 no.**								
a	COST OF CIVIL WORKS				9.16			9.15	-0.01
b	COST OF INTERNAL W/S & SANITATION WORKS				1.13			1.13	0.00
c	COST OF INTERNAL ELECTRIFICATION WORKS				2.77			2.77	0.00
	Total				**13.07**			**13.05**	**-0.01**
5	**E.S.S.**								
a	COST OF CIVIL WORKS				15.44			15.40	-0.04
b	COST OF INTERNAL ELECTRIFICATION WORKS				2.03			2.03	0.00
	Total				**17.48**			**17.43**	**-0.04**
	EXTERNAL SITE DEVELOPMENT WORKS								
6	COST OF C.C. ROAD	SQM	3928	2451.05	96.29	3928	2451.05	96.29	0.00
7	COST OF C.C. INTERLOCKING	SQM	316.25	2239.21	7.08	316.25	2239.21	7.08	0.00
8	COST OF KERB STONE WITH K.C. DRAIN	RM.	818.41	1870.29	15.31	818.41	1870.29	15.31	0.00
9	COST OF LANDSCAPING WORKS	Job	1.00		8.60	1.00		8.60	0.00
10	COST OF EXTERNAL W/S & SEWERAGE WORKS (WATER SUPPLY SYSTEM AND SOAK PIT AND SEPTIC TANK)	Job	1		22.38	1		21.93	-0.45
11	COST OF RAIN WATER HARVESTING	No.	1	339038.43	3.39	1	339038.43	3.39	0.00
12	DRAINAGE NETWORK - 460 m, Masonary Chamber- No.- 20 SUBMERSIBLE DRAINAGE PUMP- 205 LPM	Job	1		20.67	1		20.61	-0.06
13	COST OF EXTERNAL ELECTRICAL WORKS- H.T. Panel, L.T. CABLES , Earthing,	Job			46.12			46.12	0.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(लागत लाख रू0 में)

क्र. सं.	मद का नाम	इकाई	प्रस्तावित लागत			प्रभाग द्वारा आंकलित लागत			कटौती
			मात्रा	दर (रू0 में)	लागत	मात्रा	दर (रू0 में)	लागत	
	Cabling, Pole- 12 No.,								
14	COST OF EXT. FIRE FIGHTING FOR AUDITORIUM	Job	1		4.60	1		4.60	0.00
15	COST OF BORING & SUBMERSIBLE PUMP	Job	1		11.95	1		11.95	0.00
16	COST OF BOUNDARY WALL WITH RETAINING WALL - 2.0 MT. DEPTH	R.M.	358.44	36530.37	130.94	358.44	36274.11	130.02	-0.92
17	COST OF BOUNDARY WALL WITH RET. WALL - 5.36 MT. DEPTH	R.M.	105.34	85668.08	90.24	105.34	85411.82	89.97	-0.27
18	COST OF BOUNDARY WALL WITH RET. WALL - 9.0 MT. DEPTH	R.M.	106	221653.29	234.70	106	221397.03	234.43	-0.27
19	COST OF 6.0 MT. WIDE M.S. GATE	NOS.	2.00	330643.29	6.61	2.00	300000.00	6.00	-0.61
20	COST OF GATE COMPLEX	No.	1.00		59.10	1.00		59.10	0.00
21	COST OF 75 K.L. FIRE & DOMESTIC U.G.	LTR.	75000	16.91	12.68	75000	16.91	12.68	0.00
22	COST OF CAMPUS EARTH FILLING	CUM.	26986.74	514.87	138.95			5.00	-133.95
					909.60			**773.07**	**-136.53**
	Total				**1882.64**			**1739.15**	**-143.49**
23	Contingency	Rs. In Lacs	1882.64	1.0%	18.83	1739.15	1.0%	17.39	-1.43
	Total				**1901.47**			**1756.54**	**-144.93**
24	LESS 5% DUE TO DEPTT. WORKING	Rs. In Lacs	1901.47	-5%	-95.07	1756.54	-5%	-87.83	7.25
	Total				**1806.39**			**1668.71**	**-137.68**
25	CENTAGE CHARGES	Rs. In Lacs	1806.39	10.0%	180.64	1668.71	10.0%	166.87	-13.77
26	LABOUR CESS	Rs. In Lacs	1806.39	1%	18.06	1668.71	1%	16.69	-1.38
	Bought Out Items								
27	COST OF SUB STATION EQUIPMENTS - 250 KVA	KVA	250.00		7.26	250.00		7.26	0.00
28	COST OF D.G. SET - 225 KVA	KVA	225.00		24.94	225.00		24.94	0.00
29	8 PASSENGERS LIFT for Guest House	No.	1.00		12.67	1.00		12.67	0.00
30	FURNITURE	Rs. In Lacs			86.81			75.00	-11.81
31	G.S.T. with bought out items	Rs. In Lacs	1851.26	18%	333.23	1788.58	18%	321.94	-11.28
32	EXTERNAL ELECTRIC CONNECTION	Rs. In Lacs			15.00			15.00	0.00
	Total Project Cost				**2485.00**			**2309.09**	**-175.92**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।